न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 975/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
2. भंवराराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
3. लादुराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
4. चम्पा पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
5. मखु पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
6. शायरी पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
7. शायरी पत्नी रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
8. कृष्णा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
9. तुलछा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
10. इन्द्रा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1010 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम प्रत्येक का 1689/20555 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 6 प्रत्येक का 3379/41110 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का देहान्त हो चुका है रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों व उनके वारिसान के पक्ष में त्याग कर [illegible] प्रतिवादी संख्या 7 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 8 [illegible] उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाई [illegible] में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1010 हैक्ट भूमि में रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घेाषित किया जाता है तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार घोषित किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक रेवन्ताराम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का देहान्त हो चुका है रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है उनका जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों व उनके वारिसान के पक्ष में त्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 8 व 9 जो की वादी की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही लेना चाहती है एवं अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घेाषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1010 हैक्ट भूमि में रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1010 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 व मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम प्रत्येक का 1689/20555 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 6 प्रत्येक का 3379/41110 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी के पिता रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का देहान्त हो चुका है रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 जो की वादी बुआ है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों व उनके वारिसान के पक्ष में त्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 जो की वादी की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है एवं अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 के बाद हक त्याग रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1010 हैक्ट भूमि में रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार घोषित किया जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1110 हैक्ट भूमि में रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 975/2024

अनवान : –

1. ओम प्रकाश पुत्र रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. डुंगरराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
2. भंवराराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
3. लादुराम पुत्र भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
4. चम्पा पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
5. मखु पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
6. शायरी पुत्री भोपालाराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
7. शायरी पत्नी रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
8. कृष्णा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
9. तुलछा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
10. इन्द्रा पुत्री रेवन्ताराम जाति राईका निवासी ढाणी राईकान तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 975 सन 2024 निर्णय दिनांक 29/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 191/218 की कुल 17.1860 हैक्ट भूमि में मृतक रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 189/291 की कुल 4.1110 हैक्ट भूमि में रेवन्ताराम पुत्र भोपालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर